न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या : 55/2021

तारीख दायर : 21.09.2021

अनवान

रितुदेवी पत्नि मुकेश कुमार जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी मेनाल तहसील बेगू जिला चित्तौडगढ राज.

.... प्रार्थी

बनाम

01. रघुनाथ पिता होकमीचन्द जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज.
02. चुन्नीलाल पिता केला जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज.
03. भूरालाल पिता मोहनलाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी सदाराम जी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज.
04. मदनलाल पिता मोहनलाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी सदाराम जी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज.
05. मदनलाल पिता मांगीलाल जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी सदाराम जी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज.
06. मोडा पिता होकमा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज.

.... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

– : आदेश : –

दिनांक 30/11/2021

प्रार्थना पत्र रितुदेवी पत्नि मुकेश कुमार जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी मेनाल तहसील बेगू जिला चित्तौडगढ राज. ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम देवगढ पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता सं. 73 पर अंकित आराजी सं. 82, 83, 84 कुल किता 03 रकबा 9–16 बीघा भूमि सामलाती दर्ज है। विपक्षीगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया।

अतः प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 में शिविर स्थान ...कॉस्या... में पत्रावली पेश हुई हमनें पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम देवगढ पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता सं. 73 पर अंकित आराजी सं. 82, 83, 84 कुल किता 03 रकबा 9–16 बीघा भूमि सामलाती दर्ज की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। भू0अ0नि0 उमाजी का खेडा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस 500/– रूपये वक्त पत्थर गढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां